भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 456*

जिसका उत्तर मंगलवार 27 मार्च, 2018 को दिया जाना है

विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देना

456*. श्री अजय मिश्रा टेनी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश में चल रहे सभी वाहनों को विद्युत चालित वाहन में बदलने के लिए सरकार द्वारा कोई समय-सीमा तय की गई है अथवा तय करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के कार्यालयों के वाहनों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 2018-19 के दौरान विद्युत चालित वाहन में बदलने का लक्ष्य है/लक्ष्य रखा जाएगा तथा ऐसे कार्यालयों के उपयोग हेतु उक्त अवधि के दौरान कितने विद्युत चालित वाहनों का लक्ष्य किया गया/लक्ष्य किया जाना है; और

(घ) क्या सरकार का विद्युत चालित वाहन खरीदने के लिए आम लोगों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ताकि शहरों में प्रदूषण कम हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (घ): एक विवरण सदन-पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

<u>"विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देने" के संबंध में श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा पूछे गए दिनांक 27.03.2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 456 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क): इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (दोनों को एक्सईवी के रूप में संदर्भित किया गया है) के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 2011 में नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अनुमोदित किया और तत्पश्चात वर्ष 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 का शुभारंभ किया। इस मिशन प्लान को मुख्यतः देश में ईंधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदूषण पर विचार करते हुए डिजाइन किया गया है।

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को बढावा देने और इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने तथा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 (चरण-I) से दो वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एक योजना नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण] तैयार की। इस योजना में बल दिए जाने वाले चार घटक हैं, नामतः मांग का सृजन, प्रायोगिक परियोजना, प्रौद्योगिकी विकास/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना। तथापि, फेम स्कीम के चरण-1 को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।

फेम स्कीम की बढ़ाई गई अवधि में भारी उद्योग विभाग ने सार्वजनिक परिवहन के ई-मोबिलिटी को संगठित बल उपलब्ध कराने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति जारी की। इस पहल के तहत योजना से इलेक्ट्रिक बसों/इलेक्ट्रिक तिपहिया ऑटो/इलेक्ट्रिक चोपहिया वाहनों की खरीद के लिए और सार्वजनिक परिवहन एवं साझा मोबिलिटी की चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था।

फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इस स्कीम के चरण-1 में प्राप्त उपलब्धि और अनुभव के आधार पर स्कीम की उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी। तदनुसार, सरकार ने इसकी समीक्षा की है और इस ओर सुधारात्मक उपाय किए हैं।

इसके अलावा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम अथवा इलेक्ट्रिक किट के रेट्रोफिटमेंट के लिए दिनांक 24 जून, 2016 को जीएसआर 629(ई) को अधिसूचित किया और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों की टाइप अनुमोदन प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करते हुए दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को एस.ओ. 1013(ई) को अधिसूचित किया।

(ख) : जी नहीं।

(ग): वर्ष 2018-19 के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में वाहनों को बदलने अथवा केंद्र सरकार के कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

तथापि, विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि एनर्जी इफिसेंसी सर्विसिस लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एक संयुक्त उद्यम ने 10,000 इलेक्ट्रिक कारों का अधिप्रापण पूर्ण कर लिया है और मेसर्स टाटा मोटर्स (5050) और मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (4950) को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किए हैं। ये कारें पट्टे/पूर्णतः खरीद आधार पर सरकारी उद्यमों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, अन्य 10,000 ई-वाहनों के अधिप्रापण हेतु निविदा जारी की गई है क्योंकि आन्ध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने

अपनी मांग भेजी है। अब तक केंद्र सरकार और आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात राज्यों से ई-वाहनों की कुल मांग लगभग 19,000 कारें हैं।

(घ): विद्यमान फेम इंडिया स्कीम में बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में से मांग सृजन एक है। सभी वाहन घटकों अर्थात दुपहिया, तिपहिया ऑटो, चोपहिया यात्री वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहन और बसों को प्रोत्साहन देकर मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से बाजार सृजन का लक्ष्य है। इन्हें व्यापक रूप से अपनाने के लिए अपफ्रंट कम खरीद मूल्य के रूप में खरीददारों को (अंतिम उपयोग कर्ताओं/उपभोक्ताओं) को मांग प्रोत्साहन उपलब्ध है। एक्सईवी की खरीद के लिए स्कीम के अंतर्गत अनुमत मांग प्रोत्साहनों का ब्यौरा फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध-13 में दिया गया है, जो विभाग की बेवसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को और स्कीम के आरंभ होने से अब तक दिनांक 22 मार्च, 2018 तक इस स्कीम के अंतर्गत मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से लगभग 1,89,482 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों की सहायता की गई है।

******